

19/12/23 पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष अणु।
वकील प्रतिवादी सं. ① से ④ उप.। वकील उभय
पक्ष ने पूर्व आदेशिका दिनांक 20/10/2023
को NO Interaction In Case किया गया था।

न्यायालय की ओर से नोटिस ~~प्रतिवादी सं. ①~~
सं. ① से ④ किया गया था। उन नोटिस लॉकर
प्राप्त नहीं हुआ है। वादी अधि. ने अर्ज
किया कि वादी मरे सम्पर्क में नहीं है।

प्रतिवादी सं. ① से ④ की ओर से अधि. श्री
नाथाराम चौधरी, सांगराम चौधरी ने अर्ज

किया कि वादी अधि. के सम्पर्क में वादी
से उभय पक्ष सम्पर्क में नहीं होते हैं

कारण वाद चलने योग्य नहीं है। वाद को
वादी पुनः वाद लाने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

न्यायालय द्वारा श्री अमराराम के कांफु ॥॥

राजुराम को नोटिस जारी किया गया था।

नोटिस लॉकर प्राप्त नहीं हुआ है। वादी
अधि. ने आदेशिका दिनांक 20/10/2023

अर्ज

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहम
हुक्म
में

की NO-Interaction किया गया था।
अमरशमवादी के का.मु. संवा.। राजुराम वादी पुनः
वाद रिख्ये हेतु स्वतंत्र रहेगा। वादी
का वादीक्षाय 08 R9 CPC के अन्तर्गत अधम
दाजरी व अधम पेशी में खारीज करमाया
जाकर पत्रावली फौसल शुमार लेकर नम्बर
सक से कम हीकर दाखिल दफतर हो



सहाय
Peeling ka
डॉक्टर एवं कार्य
मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर